हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–92/2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक 9 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2024 का विधेयक संख्यांक 28.

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3–अ और 3–आ का अंतःस्थापन।

––––––––––––

2024 का विधेयक संख्यांक 28.

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 3–अ और 3–आ का अंतःस्थापन.––हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"**3–अ. दुग्ध उपकर का उदग्रहण और संग्रहण.**–(1) ऊर्जा के उपभोग पर 0.10 रुपए प्रति यूनिट की दर से दुग्ध उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगाः

परन्तु शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं से कोई दुग्ध उपकर उद्गृहीत और संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, दुग्ध उपकरों की दरों को, किसी समय में, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

(3) संगृहीत की गई उपकर की रकम का उपयोग राज्य में दुग्ध के उत्पादन और उपापन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों के उत्थान के लिए किया जाएगा।

3–आ. पर्यावरण उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.–(1) ऊर्जा के उपभोग पर पर्यावरण उपकर निम्नलिखित रीति में उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, अर्थात्:–

उपभोक्ताओं की श्रेणी	**उपकर की दर**
लघु औद्योगिक ऊर्जा	रु. 0.02 प्रति यूनिट
मध्यम औद्योगिक ऊर्जा	रु. 0.04 प्रति यूनिट
बड़े औद्योगिक ऊर्जा	रु. 0.10 प्रति यूनिट
वाणिज्यिक	रु. 0.10 प्रति यूनिट
अस्थाई कनेक्शन	रु. 2.00 प्रति यूनिट
स्टोन क्रशर	रु. 2.00 प्रति यूनिट
विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन	रु. 6.00 प्रति यूनिटः

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपभोक्ताओं के प्रवर्गों को सम्मिलित, अपवर्जित, श्रेणीकृत या उप–श्रेणीकृत कर सकेगी और उनके सम्बन्ध में उपकर दरों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पर्यावरण उपकरों की दरों को, किसी एक समय में, पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

(3) संगृहीत की गई रकम का उपयोग,–

(क) नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने; और

(ख) राज्य में पर्यावरण के संरक्षण करने;

के लिए किया जाएगा ।"।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009, राज्य में विद्युत के उपभोग या आपूर्ति पर विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण का उपबंध करने और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित

किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 3 ऊर्जा के उपभोग या आपूर्ति पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण करने का उपबंध करती है। राज्य सरकार, राज्य में दुग्ध उपापन को बढ़ावा देने और वृद्धि करने हेतु प्रतिबद्ध है। दुग्ध उत्पादकों को सशक्त करने और किसानों का उत्थान करने के आशय से; उपकर उद्गृहीत किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के आशय से, राज्य में स्वच्छ पर्यावरण का सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। अतः विद्युत के उपभोग पर पर्यावरण उपकर को उद्गृहीत करने का प्रस्ताव किया गया है। उपरोक्त उपकर के उद्ग्रहण द्वारा संगृहीत रकम को बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग/ऊर्जा निदेशालय के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाएगा और उसे अनन्यतः उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

शिमलाः

तारीखः ....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
(नस्ति संख्याः एम.पी.पी.–ए(3)–1/2024)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

———————

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

————————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः....., 2024

————————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 28 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Insertion of sections 3-A and 3-B.

————————————

Bill No. 28 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follow:—

1. Short title-—This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Act, 2024.

2. Insertion of sections 3-A and 3-B.—After section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, the following sections shall be inserted, namely:—

"**3-A. Levy and collection of Milk Cess**.—(1) There shall be levied and collected Milk Cess on consumption of energy at the rate of Rupees 0.10 per unit:

Provided that no Milk Cess shall be levied and collected from the zero bill consumers.

(2) The State Government may, by notification revise the rates of Milk Cess not exceeding 50% at a time, of the rates specified in sub-section (1).

(3) The amount of cess collected shall be utilised to promote the production and procurement of milk and upliftment of the milk producers in the State.

3-B. Levy and collection of Environment Cess.—(1) There shall be levied and collected Environment Cess on consumption of energy, in the following manner, namely:—

Category of Consumers	**Rate of Cess**
Small Industrial Power	Rs. 0.02 per Unit
Medium Industrial Power	Rs. 0.04 per Unit
Large Industrial Power	Rs. 0.10 per Unit
Commercial	Rs. 0.10 per Unit
Temporary Connections	Rs. 2.00 per Unit
Stone Crusher	Rs. 2.00 per Unit
Electrical Vehicle Charging Station	Rs. 6.00 per Unit:

Provided that the State Government may, by notification include, exclude, categorise or sub-categorise the categories of consumers and specify the rates of cess in respect thereto.

(2) The State Government may, by notification revise the rates of Environment Cess not exceeding 50% at a time.

(3) The amount of cess collected shall be utilised to,—

(a) promote the generation of electricity through renewable energy; and

(b) protect environment in the State.".

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 was enacted to provide for levy of electricity duty on the consumption or supply of the electricity in the State and matters connected therewith and incidental thereto. Section 3 of the Act *ibid* provides for levy of electricity duty on consumption or supply of energy. The State Government is committed to promote milk procurement and increase production of milk in the State. In order to strengthen the milk producers and upliftment of farmers; the cess is proposed to be levied. Further, in order to boost the tourism industry, clean environment is required to be ensured in the State. Therefore, there is a proposal to levy Environment Cess on the consumption of electricity. The amount collected by levying the aforesaid cess shall be deposited in the receipt head of MPP&Power Department/Directorate of Energy and will exclusively be utilised to fulfill the aforesaid purposes.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:

The……..2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

———————

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITIUTION OF

(File No. MPP-A(3)-1/2024)

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Bill, 2024, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:

The……2024.